



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 अक्टूबर, 2021
आश्विन 9, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1040/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(201)-2021
लखनऊ, 01 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प0आ0-355

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या-1 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ii) क्रम संख्या 9कक के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "भारत में आयोजित होने वाले" के पूर्व शब्द "जब भी पुनर्निर्धारित हो", बढ़ा दिये जायेंगे;

(iii) क्रम संख्या 9कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कख	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले ए0एफ0सी0 (एशियाई फुटबाल परिसंघ) महिला एशिया कप, 2022 के अधीन किसी समारोह में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए0एफ0सी0) और इसके सहायक संगठनों के द्वारा या उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाएं	शून्य	परन्तु यह कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय यह प्रमाणित करे कि सेवाएं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एएफसी महिला एशिया कप 2022 के अन्तर्गत आने वाले किसी भी आयोजन से संबंधित हैं";

(iv) क्रम संख्या 9घ और 13 के समक्ष स्तम्भ (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या 12 क ख" बढ़ा दिये जायेंगे;

(v) क्रम संख्या 19क और 19ख के समक्ष, स्तम्भ (5) में, अंक "2021" के स्थान पर, अंक "2022" रख दिये जायेंगे ;

(vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"61क	शीर्षक 9991	संपूर्ण भारत /सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल ढुलाई हेतु राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं	शून्य	शून्य";

(viii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द जिसके लिये "कुल व्यय" के पश्चात् अंक, प्रतीक और शब्द "का 75% या अधिक " बढ़ा दिये जायेंगे;

(ix) क्रम संख्या 74क और 80 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या 12 कख" बढ़ा दिये जायेंगे;

(x) क्रम संख्या 82क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82ख	शीर्षक 9996	एएफसी (एशियाई फुटबाल परिसंघ) महिला एशिया कप 2022 के अन्तर्गत आयोजित होने वाले आयोजन में प्रवेश का अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

2-यह अधिसूचना तारीख 01 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1040 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(201)-2021, dated October 1, 2021 :

No. 1040 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(201)-2021

Dated Lucknow, October 1, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification no. KA.NI.-2-843/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(10)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table,-

(i) against serial number 1, in column (3), *after* the figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be *inserted*;

(ii) against serial number 9AA, in column (3), *after* the words "hosted in India", the words "whenever rescheduled" shall be *inserted*;

(iii) *after* serial number 9AA and the entries relating thereto, the following shall be *inserted*, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9AB	Chapter 99	Services provided by and to Asian Football Confederation (AFC) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports Certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022.";

(iv) against serial numbers 9D and 13, in column (3), *after* the figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be *inserted*;

(v) against serial numbers 19A and 19B, in column (5), *for* the figures "2021", the figures "2022" shall be *substituted*;

(vi) serial number 43 and the entries relating thereto shall be *omitted*;

(vii) *after* serial number 61 and the entries relating thereto, the following shall be *inserted*, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"61A	Heading 9991	Services by way of granting National Permit to a goods carriage to operate through-out India/contiguous States.	Nil	Nil";

(viii) against serial numbers 72, in column (3), *after* the words "for which", the figures, symbol and words "75% or more of the" shall be *inserted*;

(ix) against serial numbers 74A and 80, in column (3), *after* the figures and letters "12AA", word, figures and letters "or 12AB" shall be *inserted*;

(x) *after* serial number 82A and the entries relating thereto, the following shall be *inserted*, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82B	Heading 9996	Services by way of right to admission to the events organised under AFC Women's Asia Cup 2022	Nil	Nil";

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 379 राजपत्र-2021-(852)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 32 सा० राज्य कर-2021-(853)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।